

04.09.25

वकील वादी द्वारा श.पत्र पेश करने पर फावली
पेन्नी में ली गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया
गया कि बादपत्र को नोट पेस के आधार पर खारिज
कराया जावे। अतः वकील वादी का श.पत्र स्वीकार
किया जाकर वादी का यह बादपत्र नोट पेस के
आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। फावली बाद तरीक़ तहमील होकर शांति
दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अनील कुमार गौदान)
R.A.S.

Not pressed



(हरी प्रसाद)

प३०